न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या — 21/2017

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
खेतसिंह पुत्र धोकलसिंह, जाति राजपूत,निवासी आंवलोज, तहसील व जिला जालोर		1.श्रीमती फुसकी पुत्री राजा पत्नी लेहराराम, जाति कुम्हार, निवासी आंवलोज, तहसील जालोर, जिला जालोर हाल– निवासी चवरछा, तहसील आहोर, जिला जालोर 2.तहसीलदार जालोर

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार जालोर ,दिनांक 31.5.2017(ना.क.प्र.सं.8/2016)

उपस्थिति :–
1-श्री सुरेश कुमार सोलंकी,अभिभाषक,अपीलांट अभिभाषक की ओर से।
2.श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट सं.1 की ओर से।
3.श्री छोटूसिंह, सरकारी अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 30.9.2019

1. अपीलांट के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने एक जमीन खसरा नम्बर 774 रकबा 3.47 हेक्टर तथा खसरा नम्बर 774/1089 रकबा 0.04 हेक्टर, कुल रकबा 3.51 हेक्टर का 1/4 हिस्सा श्रीमति मैथी बेवा राजा ,जाति कुम्हार,निवासी ऑवलोज ,तहसील जालोर से दिनांक 3.2.1999 से खरीदी थी जिसका बैचाननामा पंजीकृत किया गया था और बाद में अपीलांट के नाम जमीन का म्युटेशन किया गया। इसके बाद पुराने खसरा नम्बर 463 के विरूद्ध एक अपील रेस्पोडेन्ट सं. 1–श्रीमति फुसकी द्वारा की गयी और म्युटेशन सं.463 को चुनौति दी गयी, इस म्युटेशन के द्वारा श्री राजा कुम्हार के नाम दर्ज जमीन खसरा नम्बर 223 मीन रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 238 रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा,कुल रकबा 28 बीघा 2 बिस्वा भूमि का नामान्तरकरण राजा के मरने के बाद श्रीमति मैथी के नाम भरा गया था, इस नामान्तरकरण के

विरूद्ध श्रीमति मैथी द्वारा एक अपील इस न्यायालय में की गयी थी जो स्वीकार की गयी तथा उक्त नामान्तरकरण निरस्त किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा अपील की गयी थी जो खारिज की गयी। दिनांक 12.2.16को श्रीमति फुसकी द्वारा म्युटेशन सं. 463 में वर्णित खसरा नम्बर की जमीन खसरा नम्बर 223, 238 का नामान्तरकरण उसके नाम करने का आवेदन किया गया,आवेदन प्राप्त होने पर तहसीलदार जालोर ने प्रकरण सं. 8/2016 के रूप में दर्ज किया तथा भू अभिलेख निरीक्षक से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई, तथ्यात्मक रिपोर्ट में यह लिखा गया कि खसरा नम्बर 223 के नये खसरा नम्बर 223 के नये खसरा नम्बर 695 रकबा 1.04 हेक्टर तथा 695/1067रकबा 0.54 हेक्टर बनाये गये है, खसरा नम्बर 238 से खसरा नम्बर 774 रकबा 3.47 हेक्टर तथा खसरा नम्बर774/1089 रकबा 0.04 हेक्टर बनाये गये है,यह रिपोर्ट दिनांक 6.9.16को तहसीलदार कार्यालय में भेजी गई जो दिनांक 8.9.2016को प्राप्त हो गयी थी, उक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट में नवीन खसरा नम्बर 695/1067 के खातेदार अमराराम पुत्र जेराराम, मोडाराम पुत्र सूरताराम, बादराराम पुत्र सूरताराम, राणाराम पुत्र दीपाराम, खंगाराराम पुत्र दीपाराम, मोटाराम पुत्र दीपाराम, मुस्मात् सटकी बेवा तगाराम, वागाराम पुत्र हडमता, तेजाराम पुत्र हडमता, जुंजाराम पुत्र हडमता, जातियान् चौधरी, निवासी आंवलॉज के नाम दर्ज होना बताया गया है, इसके अलावा खसरा नम्बर 695 की जमीन नरपतसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत,निवासी आंवलॉज के नाम दर्ज होना बताया गया है,तहसीलदार जालोर ने इस बाबत् किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नही की अर्थात् तहसीलदार ने खसरा नम्बर 223 जो पुराने थे जिनको मैथी पत्नि राजा ने बैचान किया था जिसका नामान्तरकरण खारिज कियागया,उनको कोई नोटिस नही दिया गया और केवल मात्र अपीलांट के पक्ष में म्युटेशन को निरस्त किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर तहसीलदार जालोर का आदेश दिनांक31.5.2017 को निरस्त किया जावे व पत्रावली पुनःविधिवत् कार्यवाही हेतु रिमाण्ड की जावे। अपीलांट ने अपील में फहरिस्त के साथ तहसीलदार जालोर के निर्णय दिनांक 31.5.2017 की प्रमाणित प्रति पेश की, इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई । अपीलांट के अभिभाषक ने अपने अपील प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि अपीलांट की अपील स्वीकार कर तहसीलदार जालोर का निर्णय दिनांक 31.5.17 खारिज करावे। इसके विपरीत अप्रार्थी सं. 1के वकील

ने बहस में बताया कि तहसीलदार जालोर ने न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर के अपील सं. 136/2013 निर्णय दिनांक 4.2.2016 में अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर के आदेश दिनांक 30.8.2013 में इस संशोधित किया कि तहसीलदार जालोर मृतक राजा के वारिसान् के सबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् नामान्तरकरण कार्यवाही सम्पादन करते समय अपीलांट(क्रेता) को भी साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत करने व सुनवाई व अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर देते हुए पुनःन्यायोचित निर्णय पारित करे, जिसकी पालना में तहसीलदार जालोर द्वारा यह निर्णय पारित किया गया है तथा तहसीलदार जालोर ने अपने में निहित क्षैत्राधिकार का प्रयोग करते हुए धारा 135(2)राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् अपीलाधीन आदेश पारित किया है ,इसलिए ऐसे आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय को अपील सुनने का क्षैत्राधिकार प्राप्त नही है ,तहसीलदार द्वारा 135(2) में जो आदेश पारित करते है, उनके विरूद्ध प्रथम अपील संभागीय आयुक्त को ही पेश की जाती है इसलिए यह अपील प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य होने से खारिज करावे।

3. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। उक्त अपील अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार जालोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.5.2017 अन्तर्गत धारा 135(2) राज.भू राजस्व अधिनियम के विरूद्ध की गयी है, धारा 135(2) राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत् तहसीलदार द्वारा भू अभिलेख अधिकारी की हैसियत से आदेश पारित किया जाता है जिसकी अपील सुनने का कलक्टर को क्षैत्राधिकार नहीं है,अतः माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय तुलसी बनाम परमेश्वर ,RLW2004 RJ 551 तथा 2004 RRD page 101 के अनुसार उक्त अपील सुनने का अधिकार राज. भू राजस्व अधिनियम की धारा 75(एफ) के तहत् निदेशक, भू अभिलेख ,संभागीय आयुक्त व अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को है। अतःअपीलांट की अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाई जाती है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 30.9.2019को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2019.12.19 16:09:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: